पंजाब राज्य एवं अन्य

बनाम

मै. अतुल फास्टनर्स लिमिटेड

30 अप्रैल, 2007

[न्यायाधिपतिगण एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी,]

बिक्री कर-पंजाब सामान्य बिक्री कर (स्थगन और छूट) नियम, 1991 - कर को स्थगित करने की योजना-1997 से 2004 तक 7 वर्षों के लिए प्रभावी, कर स्थगन का लाभ, 2001 में दिया गया-1997 से 2001 तक पहले से ही भुगतान की गई कर राशि की वापसी के लिए दावा-उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया-2001 से वापसी/समायोजन की तारीख तक वापस की गई राशि पर ब्याज-प्राप्त करने का हक, अभिनिर्धारित किया कि हकदार नहीं है-ब्याज दो आधारों 'समझौते' या 'वैधानिक प्रावधान' के आधार पर कर अधिनियम में स्वीकार्य है-यह कर अधिनियम के तहत इक्विटी के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से छूट/स्थगन देने के लिए वैधानिक योजनाओं के तहत-न तो स्थगन योजना और न ही स्थगन नियम में ब्याज का प्रावधान है- पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 11 एवं 12.

क़ानूनों की व्याख्या-बिक्री कर-कर स्थगन योजना-सख्त व्याख्या।

बिक्री कर विभाग ने प्रतिवादी निर्धारिती को 21-12-2001 पर 30-4-1997 से 29-4-2004 की अवधि के लिए स्थगन प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रत्यर्थी को स्थगन प्रमाण पत्र उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 13-09-2001 को जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया था। स्थगन प्रमाण पत्र के तहत, कर स्थगन के लाभ की मात्रा रू. 62,47,500/- थी। प्रत्यर्थी ने दिनांक 01-10-2001 से 29-04-2004 तक की अवधि के लिए कर के स्थगन का लाभ उठाया, जो कुल पात्रता राशि रूपये

62,47,500/- रूपये के मुकाबले 33,48,600/- रूपये था। इसके बाद उसने यह दावा करते हुए रिट याचिका दायर की कि 30-04-1997 से 30-09-2001 की अवधि के दौरान, उसने रूपये 42,62,807/- की कर राशि जमा की थी और इसलिए वह ऐसी राशि को पुनः प्राप्त करने का हकदार है। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया तथा विभाग को दिनांक 21-12-2001 से धनवापसी की तारीख तक/समायोजन तक रूपये 42,62,807/- पर 18 प्रतिशत् प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। परिणामस्वरूप वर्तमान अपील में मुख्य रूप से धनवापसी पर ब्याज देने को प्रश्नगत् किया गया है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया -

1.1 . वर्तमान मामला कर के नियमित मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह पंजाब सामान्य बिक्री कर, 1948 के तहत बनाए गए स्थगन योजना और स्थगन नियमों, 1991 से संबंधित है। न तो योजना और न ही नियमों में ब्याज का प्रावधान है। [पैरा 5] [1013-एफ, जी]

1.2. कर अधिनियम में ब्याज दो आधारों पर स्वीकार्य है - 'समझौता 'या' वैधानिक प्रावधान'। कर अधिनियम के तहत इक्विटी के आधार पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से छूट/स्थगन के अनुदान संबंधी वैधानिक योजनाओं के तहत। छूट योजनाओं की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने 21.12.2001 से लेकर भुगतान तक रू. 42,62,807/- पर @18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की अनुमती देने में गलती की है।[पैरा 5] [1013-बी, ई]

रेडिहॉट इलेक्ट्रिकल्स बनाम भारत संघ और अन्य [1989] 75 एसटीसी 257, संदर्भित किया गया।

2. जब पात्रता प्रमाणपत्र के लिए निर्धारिती का आवेदन उद्योग विभाग में लंबित था तब निर्धारिती इस अवधि के दौरान जुर्माने के भुगतान से बचना चाहता था। वास्तव में 1991 के स्थगन नियमों के तहत एक आवेदक को विचाराधीन वर्ष के लिए काल्पनिक कर देयता के आधार पर अपनी पात्रता की गणना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, निर्धारिती ने जुर्माने से बचने के लिए बिक्री कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया है। ब्याज का भुगतान करने का सवाल भी नहीं उठेगा क्योंकि बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से एकत्र किया जाता है। कर का प्रभाव निर्धारिती पर नहीं बल्कि उसके ग्राहकों पर पड़ता है। निर्धारिती बिक्री मूल्य के एक हिस्से के रूप में अपने ग्राहकों से बिक्री कर एकत्र करता है। यह निर्धारित अवधि के लिए उनके कारोबार का हिस्सा है। इस योजना के तहत निर्धारिती द्वारा कर का भुगतान करने की देयता हर साल उपार्जित होती है लेकिन कर का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। सात वर्ष की समाप्ति पर निर्धारिती को 7 वर्षों के दौरान उसके द्वारा एकत्र किए गए कर का भुगतान करना होता है। यह राज्य द्वारा निर्धारिती को दिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण है ताकि निर्धारिती अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर राशि का उपयोग कर सके। प्रतिवादी-निर्धारिती की देनदारी प्रत्येक वर्ष अर्जित होती है, इसलिए, विभाग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा एकत्र किए गए कर पर 18% की दर से ब्याज का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं है। कर निर्धारिती द्वारा सरकार के एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों से कर एकत्र किया गया था। अत: स्थगन योजना के अंतर्गत ब्याज भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तर्क योजना में ब्याज के भुगतान का प्रावधान न करने का आधार प्रतीत होता है। [पैरा 5] [1014-ए, बी, सी, डी, ई]

3. निर्धारिती दिनांक 30.04.1997 से 20/21.12.2001 की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा। हालांकि वह बिना ब्याज के होगा। [पैरा 7] [1014-जी.]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 5648/2006

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सी.डब्ल्यु.पी. सं. 8757/2004 में दिनांक 02-08-2004 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से अजय पाल।

प्रत्यर्थी की ओर से जवाहरलाल गुप्ता, निधि गुप्ता और एस. जननी।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा दिया गया-

न्यायाधिपति कपाड़िया

1. 20.12.2001 को बिक्री कर विभाग द्वारा प्रतिवादी- निर्धारिती को 30 अप्रैल, 1997 से 29 अप्रैल 2004 की अवधि के लिए स्थगन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। उस प्रमाणपत्र के तहत कर स्थगन के लाभ की मात्रा 62,47,500/- रुपये थी। उक्त प्रमाणपत्र में कहा गया है कि निर्धारिती अधिकतम 62,47,500/- रुपये के अधीन कर स्थगन के लाभ का हकदार था। निर्धारिती ने 30 अप्रैल, 1997 को अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। निर्धारिती ने पात्रता प्रमाणपत्र देने के लिए उद्योग विभाग को आवेदन किया था। हालाँकि वह प्रमाणपत्र 30 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर 84 महीनों (7 वर्ष) के लिए केवल 13.9.2001 को प्रदान किया गया था। पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर बिक्री कर विभाग द्वारा स्थगन प्रमाणपत्र केवल 21.12.2001 को दिया गया था। 21 दिसंबर को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के बाद। 2001 में निर्धारिती ने 1.10.2001 से 29.4.2004 की अवधि के लिए 33,48,600 रुपये की कर छूट का लाभ उठाया, जबकि उसकी कुल पात्रता 62,47,500/- रुपये थी। निर्धारिती का मामला यह है

कि 30.4.1997 से 30.9.2001 की अवधि के दौरान उसने 42,62,807/- रुपये की राशि जमा/भुगतान की थी। नतीजतन, निर्धारिती 30.4.1997 से 29.9.2001 की अवधि के दौरान उसके द्वारा भुगतान की गई कर राशि की वापसी चाहता है। यह दावा आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए विभाग द्वारा यह सिविल अपील। निर्धारिती 30.4.1997 से 29.9.2001 की अवधि के दौरान उसके द्वारा भुगतान की गई कर राशि की वापसी चाहता है। यह दावा आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए विभाग द्वारा यह सिविल अपील। निर्धारिती 30.4.1997 से 29.9.2001 की अवधि के दौरान उसके द्वारा भुगतान की गई कर राशि की वापसी चाहता है। यह दावा आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए विभाग द्वारा यह सिविल अपील।

2. इस मामले में निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि क्या विभाग 42,62,807/- रूपये पर 18 प्रतिशत् प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 21-12-2001 से रिफण्ड/समायोजन तक ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था।

3. शुरुआत में यह ध्यान दिया जा सकता है कि कर स्थगन का लाभ देने के लिए निर्धारिती की पात्रता कोई मुद्दा नहीं है। लाभ की मात्रा विवाद में नहीं है। इसी प्रकार 30.4.1997 से 29.4.2004 तक की अवधि भी विवाद में नहीं है। पंजाब सामान्य बिक्री कर (स्थगन और छूट) नियम, 1991 के साथ पठित आस्थगन योजना के तहत, 7 वर्ष (84 महीने) की समाप्ति पर यानी 29.4.2004 को, निर्धारिती को उसकी ओर से एकत्र किए गए कर को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। विभाग को इसे तीन किस्तों में चुकाना था। वर्तमान मामले में निर्धारिती द्वारा पुनर्भुगतान की पहली किस्त 29.4.2004 को, दूसरी किस्त 28.4.2005 को और तीसरी किस्त 28.4.2006 को देय हुई। करदाता ने रिफंड के लिए 2004 में एक रिट याचिका दायर की थी।

4. हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने दिनांक 21-12-2001 से भुगतान तक 42,62,807/- रुपये पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने में गलती की है। हमने बिक्री कर कानून के तहत सरकार द्वारा बनाए गए स्थगन योजना के साथ-साथ उक्त 1991 नियमों की जांच की है। ब्याज अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे समक्ष निर्देश पर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि राज्य 18% की दर से ब्याज देने के खिलाफ अपील में है। राज्य समायोजन द्वारा रिफंड देने से इनकार नहीं कर रहा है। इसलिए, एकमात्र प्रश्न जिस पर हमें इस सिविल अपील में विचार करना आवश्यक है, वह यह है कि क्या निर्धारिती 20/21 दिसंबर 2001 से रिफंड/समायोजन की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार था।

5. कर अधिनियम में ब्याज दो आधारों पर स्वीकार्य है, अर्थात् 'समझौता' या 'वैधानिक प्रावधान'। कर अधिनियम के तहत इक्विटी के आधार पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से छूट/स्थगन अनुदान के लिए वैधानिक योजनाओं के तहत। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि छूट योजनाओं की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने में गलती की है। निर्धारिती ने रिफंड के लिए पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 12 के प्रावधान पर भरोसा किया है। उस धारा में कहा गया है कि मूल्यांकन प्राधिकारी इस संबंध में आवेदन करने वाले पंजीकृत डीलर को निर्धारित तरीके से ऐसे डीलर द्वारा भुगतान किए गए कर, ब्याज या जुर्माने की किसी भी राशि को वापस कर देगा यदि भुगतान की गई कर की राशि अधिनियम के तहत देय राशि से अधिक है। धारा 12 से पहले धारा 11 आती है जो कर के निर्धारण से संबंधित है। वर्तमान मामला कर के नियमित मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही इस आधार पर आगे बढ़ती है कि यदि डीलर द्वारा उसके रिटर्न पर भुगतान किया गया कर (घोषित टर्न ओवर) विभाग द्वारा

निर्धारित कर से अधिक है, तो निर्धारिती ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस प्राप्त करने का हकदार होगा। वर्तमान मामला पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत बनाई गई स्थगन योजना और स्थगन नियम, 1991 से संबंधि हैं। न तो योजना और न ही नियम ब्याज का प्रावधान करते हैं। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा रेडीहॉट इलेक्ट्रिकल्स बनाम भारत संघ और अन्य [1989 (75) एसटीसी 257], जिस पर निर्धारिती ने भरोसा जताया है, में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त अवधि के लिए 18% की दर से ब्याज देने में गलती की है। वर्तमान मामले में कर का कोई संग्रहण नहीं है। वर्तमान मामले में निर्धारिती उस अवधि के दौरान जुर्माने के भुगतान से बचना चाहता था जब पात्रता प्रमाण पत्र के लिए उसका आवेदन उद्योग विभाग के समक्ष लंबित था। वास्तव में 1991 के स्थगन नियमों के तहत एक आवेदक को प्रश्नगत वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर अपनी पात्रता की गणना करने की आवश्यकता होती है। (फॉर्म एसटी (डी और ई) -1 का खंड 'जे' देखें)। इसलिए, वर्तमान मामले में निर्धारिती ने बिक्री कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया है, ताकि जुर्माने से बचा जा सके। ब्याज देने का प्रश्न भी नहीं उठेगा क्योंकि विक्रय कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से एकत्र किया जाता है। कर का भार निर्धारिती पर नहीं बल्कि उसके ग्राहकों पर पड़ता है। करदाता बिक्री मूल्य के एक भाग के रूप में अपने ग्राहकों से बिक्री कर एकत्र करता है। यह निर्धारित अवधि के लिए उसके टर्न ओवर का हिस्सा बनता है। योजना के तहत निर्धारिती द्वारा कर का भुगतान करने की देनदारी हर साल बढ़ती है लेकिन कर का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। सात वर्ष की समाप्ति पर करदाता को 7 वर्षों के दौरान एकत्र किया गया कर वापस करना होगा। यह राज्य द्वारा निर्धारिती को दिया गया एक प्रकार का ऋण है ताकि निर्धारिती अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर राशि का उपयोग कर सके। जैसा कि कहा गया है, प्रतिवादी-

निर्धारिती की देनदारी प्रत्येक वर्ष अर्जित होती है, इसलिए, विभाग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा एकत्र किए गए कर पर 18% की दर से ब्याज का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं है। कर निर्धारिती द्वारा सरकार के एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों से कर एकत्र किया गया था। निर्धारिती को वह राशि अपने पास रखने की अनुमति है जो राज्य सरकार के खाते में जमा हुई है। अत: स्थगन योजना के अंतर्गत ब्याज भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तर्क योजना में ब्याज के भुगतान का प्रावधान न करने का आधार प्रतीत होता है।

6. समापन से पहले हम बता सकते हैं कि 42 लाख (लगभग) रूपये पर रुपये पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज 21.12.2001 से 20.12.2007 की अवधि के लिए 43 लाख (लगभग) बनता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यर्थी जो अब पुनर्भुगतान के दायित्व के अधीन है, ब्याज से भुगतान करना चाहता है।

7. उपर्युक्त वर्णित कारणों से हम इस अपील को उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को रिफंड/समायोजन की तारीख तक 30.4.1997 से 20/21.12.2001 तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ एकत्र किया गया कर राशि वापस करने के लिए दिए गए निर्देशों को अपास्त करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि कर निर्धारिती दिनांक 30.4.1997 से 20/21.12.2001 तक की अवधि के दौरान एकत्र किए गए कर की वापसी का हकदार होगा। हालाँकि, यह बिना ब्याज के होगा। तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनिता यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।